

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या -150/2018 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं०-2018/00541

1. गोविन्दराम मोदी पुत्र स्व० श्री रामजीदास मोदी जाति महाजन निवासी मोडक स्टेशन तह० रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (एन.एच.52)
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जयें वीरेन्द्र सिंह महाप्रबन्धक (त०क०) एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कार्यान्वयन ईकाई (एन एच-52)ए-504 इन्दिरा बिहार कोटा

—अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी 5 दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 एवं संशोधित अधिनियम 1997 सपटित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996

उपस्थित:-

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री विकास सोनी, महेन्द्रा कुमारी वर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी नं० 2

निर्णय

दिनांक :-27.02.2024

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए अन्य भूमियों के साथ प्रार्थी की ग्राम तेलिया खेडी में खसरा नं० 106 की 0.3811 हे० अवार्ड आदेश दिनांक 20.9.2017 तथा खसरा नं० 106 की 0.0672 हे० भूमि अवार्ड आदेश दिनांक 16.11.2017 से भूमि अवाप्त की गयी । कुल 0.4483 हे० भूमि दोनों अवार्डों की भूमि को अवाप्त किया जाकर अवाप्ति के लिए पारित अधिनिर्णय दिनांक 20.09.2017 एवं 16.11.2017 से मुआवजा राशि तय किया जाने से असन्तुष्ट होकर यह प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2018 को जरिये अभिभाषक श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर के प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं० 2 की ओर से एड० विकास सोनी, महेन्द्रा कुमारी वर्मा, का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है । उपस्थित वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम तेलियाखेडी की भूमि खसरा नम्बर 106 की ढाबा देह से मोडक स्टेशन स्टेट हाइवे से लगभग 500 मीट की परिधि में स्थित है उक्त भूमि की कीमत प्रचलित डी एल सी दर के अनुसार 23,33,810/- प्रति हेक्टेयर है । प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की खसरा नम्बर 106 की कीमत का 17,63,307/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जबकि 23,33,810/- प्रति हे० के हिसाब से किया जाना चाहिये था । खसरा नम्बर 106 की अवाप्त कुल 0.4483/- हे० भूमि का मुआवजा राशि 23,71,471/- 58 पैसे निर्धारित की गयी है । उक्त राशि पर 38,593/- ब्याज दिलवाया गया है । इस प्रकार कुल 24,10,065/- 58 पैसे मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है । जबकि कुल 31,38,741/- 6 पैसे नियमानुसार ब्याज की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है । डीएलसी दर के बारे में मुकम्मिल जानकारी नहीं थी । मालूमात करने पर प्रार्थी की जानकारी में आया कि प्रतिपक्षी नं० 1 सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी कोटा द्वारा प्रार्थीनी की अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण सर्वथा गैर कानूनी रूप से प्रचलित डीएलसी दर के विपरीत किया गया है । भूमि की लोकेशन को भी कन्सीडर नहीं किया गया है । अतः प्रार्थीनी उसकी अवाप्त की गयी भूमि के एवार्ड को संशोधित करवाने, निरस्त करवो एवं नियमानुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है । उप पंजीयक चेचट से प्रचलित डीएलसी दर 23,33,810/- प्रति हेक्टेयर दिनांक 16.4.2015 से दिनांक 3.9.2017 तक की अवधि में लागू थी ।
4. वकील अप्रार्थी नं० 2 ने अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए जाहिर किया कि सक्षम प्राधिकारी प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति) रामगंजमण्डी द्वारा भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) के अन्तर्गत गजट अधिसूचना का.आ.1108 (अ) दिनांक 7.4.2017 जिसका प्रकाशन राजस्थान के दौ प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में दिनांक 24.4.2017 को हुआ एवं का.आ. 1900(अ) दिनांक 13.6.2017 जिसका प्रकाशन दौ प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्करण में दिनांक 30.6.2017 को एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 01.7.2017 को हुआ । धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात जिन व्यक्तियों द्वारा एनएच एक्ट 1956 की धारा 3-सी के अन्तर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की गईं उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया । 3-सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.2305 (अ) दिनांक 21.7.2017 जारी की गई, इस अधिसूचना के सार को दौ दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 4.8.2017 व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 3.8.2017 में प्रकाशित किया गया एवं का.आ. 3181 (अ) दिनांक 29.9.2017 को जारी की गई इस अधिसूचना के सार को दौ दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 13.10.2017 में प्रकाशित किया गया । उक्त नोटिफिकेशन

जिला कलेक्टर

कोटा

के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें भूमि वाके ग्राम तेलियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (जी) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म सड़क सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक चेचट द्वारा दिनांक 10.7.2017 को डीएलसी दर सक्षम प्राधिकारी को भिजवाई गई जिसके आधार पर अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया । उप पंजीयक द्वारा भूमि की जो दर सड़क एवं सड़क से दूरी तक के सन्दर्भ में जो भूमि की कीमत भूमि की किस्म के अनुसार दी गई थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे ही अवाप्तशुदा भूमि की कीमत माने जाने का निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है जो कि विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत सही व उचित किया गया है । अवाप्तशुदा भूमि का मूल्यांकन भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 की उप धारा-2 के अनुसार बाजार मूल्य पर गुणक का निर्धारण एवं बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण वृद्धि की जाकर नियमानुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है । अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी है । अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और ना ही व्यावसायिक है । लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सकें । अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है जो विधि सम्मत एवं उचित है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र नेशनल हाईवे अधिनियम 1956, आर्बीट्रेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत कर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी ग्राम तेलियाखेडी में खसरा नं0 106 की 0.3811 हे0 अवार्ड आदेश दिनांक 20.9.2017 तथा खसरा नं0 106 की 0.0672 हे0 भूमि अवार्ड आदेश दिनांक 16.11.2017 से भूमि अवाप्त की गयी । कुल 0.4483 हे0 भूमि दोनों अवार्डों की एन0एच0 52 के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए अवाप्त किया गया है। वकील अप्रार्थी नं0 2 अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए एवं 3डी के अन्तर्गत जो उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई उनके द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम तेलियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी की बाजार भाव का आंकलन सब रजिस्ट्रार से प्राप्त कर डी.एल.सी दर व भूमि की लोकेशन बाजार भाव मौके की स्थिति व उपयोगिता के अनुसार किया गया है । प्रकरण में भूमि अवाप्ति के समय प्रचलित नियम भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A के प्रकाशन के समय प्रचलित डी0एल0सी0 से मुआवजा तय करने का प्रावधान है । वकील प्रार्थी का अपनी बहस में कथन है कि खाते व कब्जे की खसरा नं0 106 की खातेदार प्रार्थी है तथा डीएलसी यानि 23,33,810/-रु0 प्रति हेक्टेयर की से निर्धारित किया जाना न्यायोचित एव विधि संगत है । जबकि प्रार्थी की अवाप्त भूमि

(Handwritten Signature)

खसरा 106 की कीमत का 17,63,307 /- हे० से मुआवजे की राशि का निर्धारण किया है । पत्रावली में मौजूद सब रजिस्ट्रार चेचट की डीएलसी अनुसार सड़क सीमा से 500 मीटर तक की डीएलसी सिंचित की 23,33,810 /- एवं असिंचित की 2074485 /- प्रति हेक्टेयर है, ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी की भूमि सड़क से 500 मीटर के अन्दर है तो उसी अनुरूप डीएलसी दर से मुआवजा तय किया जाना है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण किस प्रकार किया गया यह अवार्ड में स्पष्ट नहीं है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत भूमि की सड़क से दूरी की जांच कराई जावे तथा 500 मीटर के अन्दर होने की स्थिति में अवाप्ति हेतु 3A की अधिसूचना जारी होने के समय की प्रचलित डीएलसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही करें ।
7. निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।



(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा
राजस्थान